

31.08.2017 पुनश्च:

इसी समय आरोपिया की ओर से श्री कमलेश शर्मा अधिवक्ता द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 जा.फो. पेश किया। नकर परिवादी अधिवक्ता को दी गयी।

आवेदन पर उभयपक्ष को सुना गया।

परिवादी अधिवक्ता द्वारा जमानत पर आपत्ति व्यक्त की गयी।

आवेदन में निवेदन किया गया है कि आरोपी एक महिला है और उसे प्रकरण की जानकारी नहीं थी। परिवादी द्वारा झूठा परिवाद पेश किया गया है। उसे जमानत पर छोड़ा जावे।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में परिवादी कंपनी की ओर से विद्युत अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत विद्युत उर्जा चोरी राशि 5936 रुपए की चोरी होना बताया गया है। आरोपिया महिला है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने से इंकार नहीं किया जा सकता तथा प्रकरण में उर्जा चोरी की राशि को तथा प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत आवेदन इस निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता है कि आरोपिया प्रत्येक पेशी पर उपस्थित होने बावत् 10000 रुपए की जमानत एवं समान राशि का मुचलका पेश होने पर उसे जमानत पर छोड़ा जावे।

वीरेन्द्र सिंह राजपूत
विशेष न्यायाधीश विद्युत, गोहद

पुनश्च:

आदेश के पालन में आरोपी की ओर से दस हजार रुपए की जमानत एवं समान राशि का मुचलका पेश। जमानतदार संजीव कुमार पुत्र हरनारायण शर्मा निवासी मालनपुर द्वारा पेश की। जमानतदार की पहचान अधि. श्री कमलेश शर्मा द्वारा की गयी। जमानत बाद जांच तश्दीक स्वीकार की जाती है। आरोपिया को समक्ष में जमानत पर छोड़ा जाता है।

प्रकरण पूर्ववत् दिनांक 06.09.17 को पेश हो।

वीरेन्द्र सिंह राजपूत
विशेष न्यायाधीश विद्युत, गोहद